खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग)

दिनांकः 11.07.2019

सं. एम-16/6/2018-मेगा फूड पार्क प्रभाग

सेवा में: सभी भावी निविदाकर्ता

विषयः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल के रख-रखाव, सुधार तथा विकास के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

महोदय/महोदया

भावी निविदाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	जिन स्कीमों के लिए मॉड्यूलों का विकास नए सिरे से किया जाना है उनको स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ।	निविदा दस्तावेज के पैरा 24 iii तथा पैरा 24 iv (क) में अन्य के साथ-साथ यह उपबंध है कि प्रस्तावित समाधान के संबंध में इस अतिरिक्त आवश्यकता की मैपिंग द्वारा शेष बची दो (2) स्कीमों नामतः खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन तथा मानव संसाधन एवं संस्थान की बोर्डिंग चुनी गई एजेंसी द्वारा किया जाना है । यह स्पष्ट किया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन स्कीम में दो उप-स्कीमें (क) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं; (ख) हैसप हैं जबकि मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम में (क) प्रोत्साहन कार्यकलाप; (ख) अनुसंधान एवं विकास; (ग) कौशल विकास उप-स्कीमें हैं । इसके अलावा, यदि मंत्रालय द्वारा संविदा अवधि के दौरान कोई नई स्कीम/कार्यक्रम शुरू किया जाता है अथवा मौजूदा स्कीमों के प्रचालनतंत्र में संशोधन, यदि कोई हो, तो चुनी गई एजेंसी को सम्पदा पोर्टल में उसे शामिल करना अपेक्षित होगा ।
2	क्या एसएमएस एकीकरण और चेतावनी के उपबंध के लिए एसएमएस गेटवे सेवाओं का शुल्क एजेंसी द्वारा देय होगा ।	जैसा कि निविदा दस्तावेज के पैरा 24 iv (i) में दिया गया है एजेंसी को सम्पदा पोर्टल पर एसएमएस का एकीकरण करना होगा और तंत्र के पणधारियों को स्थिति की रिपोर्ट भेजने के लिए चेतावनी का उपबंध करना होगा । एसएमएस का शुल्क एजेंसी द्वारा नहीं देय होगा ।
3	क्या पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिप्राप्त की जाने वाली डीएससीज का शुल्क एजेंसी द्वारा देय होगा ।	जैसा कि निविदा दस्तावेज के पैरा 24 iv (ज) में दिया गया है प्रस्तावित कार्यप्रवाह तंत्र में डीएससी का एकीकरण चुनी हुई एजेंसी द्वारा कार्यान्वित होगा । डीएससी की जिम्मेदारी संबंधित उपयोगकर्ता की होगी ।
4	क्या एसएसएल लाइसेंसिंग का शुल्क चुनी हुए एजेंसी द्वारा देय होगा ।	चुनी हुई एजेंसी को सम्पदा पोर्टल में एसएसएल को कार्यान्वित करना है और एसएसएल प्रमाण पत्र का लाइसेंस शुल्क, यदि कोई हो, तो उसका वहन खाप्रउमं द्वारा किया जाएगा ।
5	मौजूदा पोर्टल के दस्तावेजीकरण और पोर्टल में भविष्य में होने वाले संशोधनों के संबंध में चुनी हुई एजेंसी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ।	मौजूदा पोर्टल के लिए दस्तावेज तैयार करने का कार्य चुनी हुई एजेंसी द्वारा किया जाएगा । चुनी हुई एजेंसी को अपनी कार्य अवधि पूर्ण करते समय पोर्टल के पूरे दस्तावेज (कार्यप्रवाह, सॉफ्टवेयर, डिजाइन दस्तावेज तथा यूजर मैनुअल आदि) का हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा ।
6	जनशक्ति के लिए कार्य स्थल का स्पष्टीकरण होना चाहिए ।	परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में नियोजित जनशक्ति के सभी आयामों को निविदा दस्तावेज के पैरा 24 (v)और पैरा 24 (vi) में स्पष्ट रूप से बताया गया है ।
7	पोर्टल का सेक्यूरिटी ऑडिट क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए एजेंसी द्वारा देय शुल्कों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है ।	निविदा दस्तावेज के पैरा 24 (iv) (ख) के अनुसार, चुनी हुई एजेंसी मौजूदा तथा प्रस्तावित आईटी समाधान के लिए सेक्यूरिटी ऑडिट क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी । सीईआरटीएन-आईएन पैनलबद्ध एजेंसी को देय शुल्क का भुगतान वास्तविक व्यय के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

(जितेन्द्र कुमार)
निदेशक